

### प्रारूप — 3

#### भाग — 2

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

1. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति—  
 (क) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र      उत्तराखण्ड  
 (ख) ज़िला      देहरादून  
 (ग) ज़िला वन प्रभाग      चक्रला वन प्रभाग  
 (घ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र
  
2. पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।
  
3. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा—  
 (क) वन का प्रकार      आरक्षित वन भूमि 0.054 हेक्टेएर  
 (ख) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व  
 (ग) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिणामना लोगू नहीं  
 (घ) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा लोगू नहीं
  
4. भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी लोगू नहीं
  
5. वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी। लोगू नहीं
  
6. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता।  
 (क) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा। लोगू नहीं  
 (ख) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लोगू नहीं  
 (ग) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लोगू नहीं  
 (घ) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वेक्षण के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी० के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)। लोगू नहीं  
 (ड) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं, तो उसके ब्यौरे। लोगू नहीं
  
7. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्त्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक रथापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दे)
  
8. पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें—  
 (क) क्या भाग—१ के पैरा ६ और पैरा ७ में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है, और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। लोगू नहीं  
 (ख) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिष किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है। लोगू नहीं
  
9. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे—  
 (क) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शन सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ/नहीं) नहीं  
 (ख) यदि हाँ, की गई कार्य अवधि अतिक्रमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही।  
 (ग) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ/नहीं) नहीं
  
10. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे—  
 (क) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिथति।

- (ख) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे व्यौरे हैं। **लागू नहीं**

(ग) क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्ति करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीय वन सीमाएं संलग्न हैं। **दर्तिल कर दिया है।**

(घ) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के व्यौरे संलग्न हैं (हाँ/नहीं) **हैं।**

(ङ) क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय-

(च) क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबन्धन के दृष्टिकोणों से पहचानकर किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न है (हाँ/नहीं) **है।**

11. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित कियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रका । में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हाँ / नहीं) **हाँ**

दिनांक 16-7-2019 स्थान गोपनीय हस्ताक्षर

उप-प्रभागीय वनविकारी  
चन्द्रराता बन प्रभाय  
कलसी

১৪

प्रभागीय वनाधिकारी  
चक्रवाता वन प्रभाग  
भारतस्थितप्राप्ति

अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण शाखा, उत्तरायण्ड पेयजल निगम  
बुद्धा वकाशा (परोडी)